भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-462
दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यकम

462. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम (एसएलएनपी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिलों में बागपत को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की शुरूआत से अब तक बागपत जिले में कितनी एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं या बदली गई हैं;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बागपत जिले में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी विलंब या समस्या की सूचना मिली है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे विलंब और समस्याओं को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

माननीय विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

'राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यकम' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.04.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : पूरे भारत में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग को व्यापक रूप से अपनाकर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की खपत और लागत को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) शुरू किया गया। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सीपीएसई का एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) एसएलएनपी की कार्यान्वयन एजेंसी है।

एसएलएनपी के तहत विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 13.1 मिलियन से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप वार्षिक बिजली की बचत लगभग 8.8 बिलियन किलोवाट घंटा और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग ₹6,178 करोड़ की वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है। राज्यवार स्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों का विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित 69 राज्य निकायों/प्राधिकरणों में एसएलएनपी लागू किया गया है। बागपत जिले में अभी तक यह योजना लागू नहीं की गई है।

(घ) : भारत सरकार ने एसएलएनपी के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया है, क्योंकि यह कार्यक्रम ईईएसएल द्वारा स्व-वित्तपोषण मोड में लागू किया जाता है

(ङ) और (च) : संबंधित प्राधिकरण से समझौते और सहमति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एसएलएनपी योजना के कार्यान्वयन में ईईएसएल की ओर से आम तौर पर कोई देरी नहीं हुई है।

तथापि, दिनांक 31/03/2025 तक विभिन्न राज्यों और यूएलबी से एसएलएनपी के निमित्त लगभग 2700 करोड़ रुपये (विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) को छोड़कर) की बकाया राशि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण कंपनी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। ईईएसएल और विद्युत मंत्रालय एसएलएनपी के लिए ईईएसएल के बकाया भुगतान को प्राथमिकता आधार पर जारी करने में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों/मंत्रालयों के साथ दृढ़ता से संपर्क कर रहा है।

एसएलएनपी ने देश में ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट को अपनाने को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और अब शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय कैपेक्स मॉडल सहित वैकल्पिक विकल्पों के माध्यम से इसे और अधिक उत्प्रेरित कर रहे हैं।

लो.स.तारां.प्र.सं. 462

अनुबंध

अखिल भारतीय एसएलएनपी प्रतिष्ठानों का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	कुल संस्थापित
1	आंध्र प्रदेश	2947706
2	तेलंगाना	1731117
3	तमिलनाडु	7876
4	पोर्टब्लेयर	14995
5	महाराष्ट्र	1114328
6	केरल	433979
7	कर्नाटक	13226
8	गोवा	207183
9	लक्षद्वीप	1000
10	पश्चिम बंगाल	94198
11	झारखंड	554091
12	बिहार	575922
13	राजस्थान	1073238
14	गुजरात	903519
15	उत्तर प्रदेश	1290949
16	उत्तराखंड	133511
17	छत्तीसगढ़	381199
18	ओडिशा	353808
19	मध्य प्रदेश	295417
20	दिल्ली	399715
21	जम्मू और कश्मीर	191637
22	हिमाचल प्रदेश	63332
23	पंजाब	127267
24	चंडीगढ़	46496
25	हरियाणा	85139
26	सिक्किम	1073
27	त्रिपुरा	76426
28	असम	28875
29	पुदुचेरी	1520
कुल योग		**13145920**

****